

Order sheet [Contd]

case No. BA -44 / 2018

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
22.02.18 03:30 pm to 03:45	<p>आवेदक/अभियुक्त मुमताज खां द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव उपस्थित। राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित। थाना गोहद के अपराध क्रमांक 192/17 अंतर्गत धारा 323, 294, 506 एवं 34 भा0दं0सं0 की तथा कॉस प्रकरण अपराध क्रमांक 191/17 अंतर्गत धारा-294, 506, 323, 324 एवं 325 एवं 34 भा0दं0सं0 की कैफियत एवं केस डायरी प्राप्त।</p> <p>आवेदक मुमताज खां के अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-438 दं0प्र0सं0 के समर्थन में आवेदक मुमताज खां के बहनोई राजू खां की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन एवं शपथपत्र में यह व्यक्त किया है कि आवेदक का यह प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकृति का अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय, समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है और न विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है। ऐसा ही केस डायरी से भी स्पष्ट है।</p> <p>आवेदक मुमताज के अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 पर उभय पक्ष के तर्क सुने गये।</p> <p>आवेदक की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि आवेदक ने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है, वह निर्दोश है। आवेदक व उसके परिवार को फरियादी पक्ष के लोगों ने अत्यधिक मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई हैं। जिसकी रिपोर्ट थाना गोहद चौराहे पर की गई है जिस पर से अपराध क्रमांक 191/17 अंतर्गत धारा-323, 394, 325 भा0दं0सं0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसी अपराध से बचने के लिए फरियादी पक्ष ने पुलिस से मिलकर झूठा अपराध आवेदक एवं उसके परिजनो के विरुद्ध गलत रूप से पंजीबद्ध करा दिया है। जिसके आधार पर पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने को प्रयत्नशील है आवेदक गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है। यदि पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो उसकी मान प्रतिष्ठा गिर जावेगी। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।</p> <p>अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया है और अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने पर बल दिया है।</p> <p>उभय पक्ष को सुने जाने तथा कैफियत एवं केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 24.11.17 के शाम 05:00 बजे के लगभग आवेदक/अभियुक्त मुमताज खां के रिश्तेदारों की बुलेरो गाडी स्टेशन रोड गोहद चौराहा गोहद पर स्थित संजू के चबूतरे से टकरा गई थी, जिस पर से मुमताज खां, मुश्ताक खां एवं सजय खां डण्डा लिए आए और बोले बुलेरो गाडी उनके रिश्तेदार की थी उससे छेड़ छाड़ क्यों की तब तीनों ने मां बहिन की अश्लील गालियां दी, गाली देने से मना करने पर तीनों ने डण्डे मारे जो फरियादी मधु सिंह तोमर सिर में लगे तथा कंधे व पीठ में भी चोटें आईं। संजू बचाने लगा तो उसके माथे में दाहिनी तरफ चोटें आईं तथा कलमे वाली</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>अंगुली की गाई में चोट होकर खून निकल आया। संजू के दाहिने पैर के घुटने में व कमर में चोटें आई, जिसकी रिपोर्ट मधुसिंह के द्वारा थाना गोहद चौराहे पर की गई।</p> <p>इस मामले में क्राँस प्रकरण अपराध क्रमांक 191/2017 अंतर्गत धारा-294, 506, 323, 324 एवं 325 एवं 34 भा0दं0सं0 की केस डायरी भी प्रस्तुत है। यद्यपि दोनों मामलों में घटना एक ही दिनांक की और लगभग एक ही समय की है। क्राँस प्रकरण के अनुसार मधुसिंह तोमर संजू तोमर एवं सोनू तोमर द्वारा मुमताज खां, मुश्ताक खां, सजय खां एवं शीला बाई की मारपीट की गई है, जिसमें सभी को चोटें आई हैं। मुमताज खां के सिर में धारदार हथियार की चोट है। मुमताज के सिर, बाएं हाथ, बाएं पैर में, मुश्ताक खां के सिर में, बाई आंख के पास रिंग फिंगर, बाएं हाथ आदि में, सजय खां के सिर में बाई ओर कटा हुआ घाव तथा सिर में दाहिनी तरफ बाई अग्रभुजा पर दाईं आंख के पास तथा शीलाबाई के दाएं हाथ पर, बाएं घुटने आदि पर चोटें पाई गई है। मुश्ताक खां के बाएं हाथ में अंगूठे में फ्रेक्चर आया है। क्राँस प्रकरण के अनुसार सोनू के द्वारा लोहे के सरिया का पंजा मुमताज के सिर में एवं दाहिने पैर की पिण्डली में मारा गया है। मधुतोमर के द्वारा डण्डे से मारपीट की गई है, संजू तोमर के द्वारा भी डण्डे से मारपीट की गई है।</p> <p>परंतु अपराध क्रमांक 192/17 की केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि मधु सिंह के सिर एवं कंधे आदि में चोटें आई हैं, जिसे जय आरोग्य अस्पताल के लिए रैफर किया गया है। जहां पर फरियादी इलाजरत रहा है उसकी सीटी स्कैन रिपोर्ट दिनांक 24.11.17 एवं 29.11.17 के अनुसार लेफ्ट पैराइटल, टेम्पोरल एवं ऑक्सीपिटल बोन में फ्रेक्चर पाया गया है। वह 06.12.17 तक भर्ती रहा है। पुलिस के द्वारा क्वेरी किए जाने पर न्यूरो सर्जरी विभाग के डाक्टर के द्वारा उक्त सिर की चोट को प्राणघातक होना बताया गया है। अतः ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए धारा-307 या 326 भा0दं0सं0 का इजाफा होने की संभावना से कतई इन्कार नहीं किया जा सकता।</p> <p>अतः मामले की संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों, उभयपक्ष को आई चोटों तथा अपराध की प्रकृति एवं उसके स्वरूप को देखते हुए आवेदक मुमताज खां को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। अतः उसका यह अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।</p> <p>आदेश की प्रति केस डायरी सहित थाना गोहद की ओर प्रेषित की जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p style="text-align: center;">(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)